

FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

• सोहन पुत्र सुगना जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर

-प्रार्थी

बनाम

• आचूकी पुत्री छोटू जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर व अन्य

-अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा- धारा 131,136 राज0 भू0राज0 अधि0 1956

नंबर / 2025

ऑनलाइन नंबर 2025 /

वकील प्रार्थी:- योगेश शर्मा

वकील अप्रार्थीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2.2.26	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्राथी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत पेश किया गया। प्रा. पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 11-03-2026 को पेश हो। UPD उपखण्ड अधिकारी अराई	
11/3/26	पत्रावली पैज 38। वकील वादी 2 पालिका। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तथा 7 से 73 तक नोटिस वाकिल शुदा जाए। प्रतिवादी संख्या 6 का ऊपम तामील अजाए। प्रतिवादी 26 व 45 की ओर से वकील डी. सी. सेवी, भयवीर मालाशार ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया। वादने तामिली प्रतिवादी संख्या 6 हेतु पत्रावली दिनांक 25/3/2026 को पेश हो। UPD	सहमत है। समी मूलचन्द रेगर 31 नं 31 नं मंगन लाल रेगर 31 नं 31 नं योगेश शर्मा 35 नं 35 नं योगेश शर्मा 35 नं 35 नं योगेश शर्मा 35 नं 35 नं
25/3/26	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। P.O. से उक्त पत्रावली पेश की गई। प्रार्थी पत्रावली पूर्व अर्थात् मुकाम दिनांक 11/3/26 को पेश हो। UPD	

1/4/26

प्रावली पेशा हुई। वही लक्ष्मणपुराण उप-
 वंशीय वही न पेशा 6 को तब ही है उक्तिकार
 मिला। शेष सापकाक रूप मिला जात है।
 प्रावली में वही लक्ष्मी गरी वही म
 वही मिला जात है। निर्णय
 है। अथवा प्रावली मिला जात
 प्रावली मिला श्रुत ही मिला मिला

धर्मिणी सार्व
 डेरिलीफ नोट
 अथवा वही पाहागण
 तब ही मिला मिला
 मिला

उपखण्ड अधिकारी
 अगंई (अजमेर)

64. लक्ष्मीनारायण पुत्र छीतर जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरौंई, जिला अजमेर राजस्थान
65. लाडा पुत्री कालू जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरौंई, जिला अजमेर राजस्थान
66. श्योजी पुत्र हुक्मा जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरौंई, जिला अजमेर राजस्थान
67. संतरा पुत्री सोन्या जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरौंई, जिला अजमेर राजस्थान
68. सन्तोष पुत्री श्रवण जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरौंई, जिला अजमेर राजस्थान
69. सन्तोष पुत्री श्रवण जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरौंई, जिला अजमेर राजस्थान
70. सन्तोष पत्नि स्व. छीतर जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरौंई, जिला अजमेर राजस्थान
71. सुरजकरण पुत्र भगवान जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरौंई, जिला अजमेर राजस्थान
72. सुरेश पुत्र गणपत जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरौंई, जिला अजमेर राजस्थान
73. सुरेश पुत्र कल्याण जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरौंई, जिला अजमेर राजस्थान
74. सायरी पुत्री श्रवण जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरौंई, जिला अजमेर राजस्थान
75. सावित्री पुत्री श्रवण जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरौंई, जिला अजमेर राजस्थान
76. सीता पुत्री उँकार जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरौंई, जिला अजमेर राजस्थान
77. सीता राम पुत्र वंशी जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरौंई, जिला अजमेर राजस्थान
78. सीताराम पुत्र मोहन जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरौंई, जिला अजमेर राजस्थान
79. सीमा पुत्री मोहन जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरौंई, जिला अजमेर राजस्थान
80. हनुमान पुत्र कालू जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरौंई, जिला अजमेर राजस्थान
81. हरिराम पुत्र छोटू जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरौंई, जिला अजमेर राजस्थान
82. शाखा प्रबन्धक महोदय उज्जीवन छोटे वित बैंक लिमिटेड शाखा किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान
83. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, अरौंई, जिला अजमेर, राजस्थान

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 131,136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 01.04.2026

संक्षिप्त में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भूराज.अधि. 1956 के तहत वकील श्री योगेश शर्मा एडवोकेट ने पेश किया जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं सहखातेदारी की गैर खातेदारी कृषि वाके ग्राम ढसूक पटवार क्षेत्र ढसूक, भू.अ.नि.क्षे.ढसूक, तहसील अरौंई, जिला अजमेर, राजस्थान में स्थित है, जो निम्न वर्णित है—

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
नया/पुराना		हैक्टेयर	
502/478	1170/280	0.1052	गै०मु० पत्थर 0.1052
	233	0.4288	गै०मु० चौकडिया 0.4288

कुल किता 02 का कुल रकबा 0.5340 हैक्टेयर जिसमें प्रार्थी का 1/64 हक हिस्सा निहित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 72 की सहखातेदारी गैर खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 72 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमें प्रार्थी का नाम सोहन पुत्र सुगना के बजाय मोहन पुत्र सुगना दर्ज कर दिया गया था, प्रार्थी का नाम सोहन पुत्र सुगना के स्थान पर मोहन पुत्र सुगना नाम की त्रुटि आवन्तन के समय से आज तक चली आ रही है। प्रार्थी का सही नाम सोहन पुत्र सुगना है, किन्तु त्रुटिवश सहवन से राजस्व रिकार्ड में आवन्तन का नामान्तरण दर्ज होने में प्रार्थी का नाम अंकन होते समय मोहन पुत्र सुगना लिख दिया गया। प्रार्थी के नाम जारी आधार कार्ड संख्या 8238 9239 1357, पहचान पत्र संख्या ucw/0096990 राशन कार्ड 009155000861, श्रमिक कार्ड पंजीकरण संख्या B33/2022/0002597, ई-श्रम कार्ड संख्या 7106 4375 9699 व पैन कार्ड संख्या BKDPL9368L में तथा अन्य में प्रार्थी का नाम सोहन अंकित है तथा वाकें ग्राम पाण्डरवाडा के खसरा संख्या 18 तथा वाकें ग्राम ढसूक के खसरा संख्या 280 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सोहन पुत्र सुगना दर्ज है, तथा वाकें ग्राम ढसूक के राजस्व रिकार्ड आवन्तन के नामान्तरण में प्रार्थी का नाम मोहन पुत्र सुगना दर्ज है, तथा मोहन पुत्र सुगना एवं सोहन पुत्र सुगनापदोनो नाम प्रार्थी के ही है, परन्तु सम्पूर्ण दस्तावेज सोहन पुत्र सुगना के नाम से है, इस कारण प्रार्थी को उक्त नाम मोहन पुत्र सुगना को शुद्ध करवाने बावत यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी उक्त आवन्तन के नामान्तरण से दर्ज गलत नाम मोहन पुत्र सुगना के त्रुटि की जानकारी नहीं थी। प्रार्थी ने जब जमाबन्दी की नकल ली तब प्रार्थी की जानकारी में आया की राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश उस का नाम सोहन पुत्र सुगना के स्थान पर मोहन पुत्र सुगना दर्ज हो रखा है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के गलत नाम की प्रविष्टि को दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त गैर खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम गलत इन्द्राज होने से प्रार्थी को काफी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। पैरा संख्या-1 में वर्णित गैर खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम दर्ज प्रविष्टि प्मोहन पुत्र सुगना के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम से प्रविष्टि प्मोहन पुत्र सुगना अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज दुरुस्त किया जाना आवश्यक है, इसलिये प्रार्थी के लिये यह नाम दुरुस्ती की घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 72 को उपरोक्त गैर खातेदारी कृषि भूमि में सहखातेदार होने से तथा अप्रार्थी संख्या 74 को लेण्ड होल्डर होने के कारण एवं अप्रार्थी संख्या 73 के यहा कृषि भूमि रहन होने के कारण मुकदमे में पक्षकार बनाया गया है। उपरोक्त गैर खातेदारी कृषि भूमि ग्राम ढसूक, पटवार क्षेत्र ढसूक, भू. अ.नि.क्षे. ढसूक, तहसील अरौंई, जिला अजमेर, राजस्थान में माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से इस प्रार्थना पत्र को सुनने का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थी निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है कि वर्णित ग्राम ढसूक की गैर खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मोहन पुत्र सुगना के स्थान पर सोहन पुत्र सुगना कि शुद्धि किये जाने के आदेश न्याय हित में पारित किये जाने कि कृपा करे। अन्य दादरसी जो न्यायालय दिलयाना उचित समझे दिलावे।

प्रकरण दिनांक 02.02.2026 को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 तथा 7 से 73 के सम्मन तामिलशुदा नोटिस दिनांक 11.03.2026 को प्राप्त हुए तथा प्रतिवादी 26 व 45 की ओर से महावीर मालाकार ने वकालतनामा पेशकर जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 42,37,35,62 व 20 की सहमति प्राप्त हुई। अन्य अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा 01.04.2026 को वकील प्रार्थी उपस्थित

प्रार्थी

होकर प्रतिवादी संख्या 6 के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहने के कारण तर्क करने बाबत निवेदन किया तथा प्रतिवादी संख्या 6 का नाम तर्क किया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम ढसूक पटवार क्षेत्र ढसूक तह0 अरांई के खाता संख्या नया 502 पुराना 478 के खसरा नं0 1170/280 रकबा 0.1052 है0 किस्म गै.मु.पत्थर तथा खसरा नं0 233 रकबा 0.4288 हैक्टियर किस्म गै.मु. चौकडिया की कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मोहन पुत्र सुगना के स्थान पर सोहन पुत्र सुगना की शुद्धि करने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

अरुमी
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)